राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 27.11.2015

जिला कलेक्टर एवं
जिला भामाशाह प्रबंधक,
समस्त राजस्थान।

विषयः– भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन बाबत।

महोदय,

आज दिनांक 27.11.2015 को आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव महोदय द्वारा भामाशाह योजना की समीक्षा उपरान्त भामाशाह नामांकन कवरेज को बढाने के निर्देश प्रदान किए है। इस सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2015 से भामाशाह नामांकन कवरेज बढाने हेतु निम्नानुसार फॉलो अप शिविरों का आयोजन किया जाना हैः–

1. ऐसे ब्लॉक/शहरी निकाय जहां परिवारों का नामांकन 75 प्रतिशत से कम अथवा व्यक्तियों का नामांकन 50 प्रतिशत से कम है, वहाँ फॉलो अप शिविरों का आयोजन किया जावे।
2. इन शिविरों का आयोजन राजकीय भवनों में किया जावे।
3. नामांकन शिविरों हेतु नामांकन एजेंसी/ई–मित्र कियोस्क/आर.के.सी.एल. केन्द्रों के माध्यम से मशीनों की व्यवस्था की जावे।
4. आधार नामांकन हेतु उक्त एजेंसियों के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर राजकॉम्प के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई मशीनों को भी उपयोग में लिया जा सकता है।
5. बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित ब्लॉक/शहरी निकायों के अतिरिक्त शेष ब्लॉक/शहरी निकायों में यदि स्थानीय प्रशासन आवश्यक समझे तो फॉलो अप शिविरों का आयोजन कर सकता है।
6. इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों जिनका भामाशाह नामांकन होना शेष है, का नामांकन प्राथमिकता से किया जावे।
7. नामांकन में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना(पीपीओ संख्या, राशन कार्ड संख्या, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि) अवश्य अंकित की जावे ताकि इन्हें लाभ प्रदान करने हेतु पुनः सीडिंग कार्य नहीं करना पडे।

भवदीय

Arora

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 27.11.2015

प्रतिलिपिः–

1 वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
3 एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
4 सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
5 उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त जिला.............

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक (सां.)